HARYANA RAJ BHAVAN

The 3rd/6th March, 1995

No. HRB-UA-16 (I) (1)-87-95/601.—In exercise of the powers conferred by Statute 14 (I) (II) (a) of Schedule to the Kurukshetra University Act, 1986, the Chancellor of Kurukshetra University is pleased to nominate the Secretary to Governor, Haryana, as a member of the Finance Committee of the said University for a period of two years with effect from 6th March, 1995.

URVASHI GULATI,

Dated, Chandigarh,
the 1st March, 1995.

Secretary to Governor, Haryana and to
Chancellor, Kurukshetra University.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 13 फरवरी, 1995

क्रमांक 182-ज-II-95/2365.—श्री जयनारायण, पुत्र श्री राम जीवन, निवासी गांव गोठडा टप्पा खोरी, तहसील रिवाड़ी, जिला रिवाड़ी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 431-र-I-81/22155, दिनांक 17 अगस्त, 1981 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री जयनारायण की दिनांक 5 अगस्त, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री जयनारायण की विधवा श्रीमती श्रवण के नाम रबी, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 35-ज-II-95/2369.—श्री राम किशन, पुत्र श्री थाम्बू राम, निवासी गांव बान्ध, तहसील पानीपत, जिला करनाल (अब पानीपत) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9627-जन-III-66/12482, दिनांक 18 जून, 1966 द्वारा 100 रुपऐ वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपऐ वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री राम किशन की दिनांक 3 जनवरी, 1988 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री राम किशन की विधवा श्रीमती भरपाई के नाम खरीफ, 1988 से 300 रुपये वार्षिक की दर से तथा रबी, 1993 से 1,0000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 22 फरवरी, 1995

क्रमांक 359-ज-2-95/2512—श्री बुध राम, पुत्र श्री रणजीत, निवासी गांव नागल मुन्दी, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ अब रिवाड़ी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4446-आर-III-70/1779, दिनांक 3 अगस्त, 1970 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपय वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री बुध राम की दिनांक 29 अक्तूबर, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य मे अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बुध राम की विधवा श्रीमती महादेई के नाम खरीफ, 1995 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।